भाग-६

खण्ड-१
(नियम तथा प्रक्रिया)

१--पेंशन प्रपत्रों की तैयारी--पेंशन प्रपत्रों की तैयारी सेवानिवृत्ति के दिनांक से २४ मास पूर्व प्रारम्भ की जायेगी और उसके लिये निम्नलिखित २४ मासीय समयसारिणी का पालन करना होगा:--

(१) १६ मास की अवधि में पेंशन प्रपत्र की तैयारी हेतु सर्वप्रथम सेवा-पुस्तिका की जांच करके अर्हकारी सेवा की गणनाकी जायेगी । यदि सेवा-पुस्तिका के कोई अंश असत्यापित हों अथवा पूर्ण न हों तो ऐसे अंशों को सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर सत्यापित करके सेवा-पुस्तिका को पूर्ण करने की कार्यवाही की जायगी । साथ ही सरकारी सेवक के विरूद्ध अवशेष देयों की जानकारी हेतु इस प्रकार कदम उठाये जायेंगे कि ऐसी जानकारी सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व उपलब्ध हो जाय ।

(२) सेवा-पुस्तिका को पेंशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । पेंशन देय की स्वीकृति के उपरान्त सेवा-पुस्तिका को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को वापस कर दिया जायगा ।

(३) अगले ८ मास की अवधि में--

(क) प्रथम मास की अवधि में पेंशन प्रपत्र की तैयारी का वास्तविक कार्य पूर्ण कर सेवानिवृत्ति के कम से कम ६ मास पूर्व पेंशन प्रपत्र को निदेशक, पेंशन / संयुक्त निदेशक (कोषागार एवं पेंशन) के पास भेज दिया जायगा ।

(ख) यदि पेंशन प्रपत्र तथा सेवा-पुस्तिका पूर्ण हो तो उनकी प्राप्ति के उपरान्त निदेशक, पेंशन / संयुक्त निदेशक (कोषागार एवं पेंशन) द्वारा भुगतानादेश इस अभ्युक्ति के साथ निर्गत किये जायेंगे कि कौन सा भुगतान किस तिथि से प्रभावी होगा । यदि प्रपत्रों में कोई कमी पायी जायेगी तो उन्हें सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को वापस कर दिया जायेगा और उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे त्रुटि सुधार करने के उपरान्त उन्हें तत्काल वापस कर दें ।

(ग) पेंशन,ग्रेच्युटी तथा राशिकरण के भुगतानादेश सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दिनांक को दे दिये जायेंगे किन्तु यह भुगतानादेश अगले दो मास तक इस उद्देश्य से अनन्तिम समझे जायेंगे कि दो माहों में अवशेष देयों की स्थिति स्पष्ट होने पर ग्रेच्युटी की धनराशि अन्तिम रूप से भुगतान हो जाय । इस सम्बन्ध में अग्रसारण अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के दिनांक के अगले दिन निर्धारित प्रारूप पर एक पत्र निदेशक,पेंशन / संयुक्त निदेशक (कोषागार एवं पेंशन) / कोषाधिकारी को भेजा जाएगा।

२--सेवा का इतिहास--पेंशन प्रपत्र के भाग-४ में सेवा का इतिहास दिया जायेगा । इस हेतु पूरी सेवा-पुस्तिका की प्रतिलिपि करने की आवश्यकता नहीं है । विभिन्न नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा सेवा समाप्ति के दिनांक, मास तथा वर्ष देना पर्याप्त है । टूटी अवधियां जोड़ने के प्रयोजन के लिये एक माह ३० दिन का गिना जाता है ।

सरकारी सेवा में प्रवेश/पदोन्नति तथा प्रत्यावर्तन आदि के दिनांक सही रूप में अभिलिखित एवं प्रमाणित किये जाने चाहिए । जिस सरकारी सेवक को कभी निलम्बित, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हो, सेवा से हटाया गया हो या पदच्युत किया गया हो और तत्पश्चात् उसे सेवा में पुनर्स्थापित किया गया हो तो उसके पुनर्स्थापन के आदेश की प्रतिलिपि, यदि उपलब्ध हो, तो उसे लगाया जाना चाहिये ।

३--जन्म दिनांक-(क) प्रत्येक सरकारी सेवक का जन्म दिनांक जैसा उसके सेवा में प्रवेश के समय हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र में अभिलिखित हो माना जायेगा लेकिन जहां किसी सरकारी सेवक ने ऐसी सेवा में प्रवेश करने के पश्चात ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की हो वहां उसके सरकारी सेवा में प्रवेश करने के समय उसकी सेवापुस्तिका में अभिलिखित दिनांक उनके सेवा संबंधी सभी प्रयोजनो के लिये जिसके अन्तर्गत पदोन्नति/अधिवार्षिकी समय पूर्व सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति सम्मिलित हैं उसकी ठीक जन्म दिनांक माना जायेगा और ऐसे दिनांक का शुद्ध करने के बारे में कोई आवेदन पत्र या अभ्यावेदन किसी भी परिस्थिति में ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(ख) जन्म-दिनांक के सामने केवल वर्ष का उल्लेख होने पर उस वर्ष की पहली जुलाई जन्म-तिथि मानी जायेगी और सरकारी सेवक ३० जून को सेवानिवृत्त होगा । यदि वर्ष और मास दोनों लिखे हो तो जन्म-दिनांक उस मास की १६ तारीख माना जायेगा और सरकारी सेवक मास के अन्तिम दिन को सेवानिवृत्त होगा । मास का प्रथम दिन जन्म-दिनांक होने पर सरकारी सेवक पिछले मास के अन्तिम दिनांक को सेवानिवृत्त हो जायेगा ।

४--पेंशन अर्ह सेवा--(क)सेवा प्रारम्भ करने के दिनांक से सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दिनांक तक की गयी सेवा पेंशन अर्ह सेवा मानी जाती है । २० वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की गयी सेवा पेंशन अर्ह नहीं होगी । सारी कार्यावधि (ड्यूटी) तथा सारा सवेतन अवकाश, चाहे पूर्ण वेतन पर हो या अर्द्ध-वेतन पर पेंशन अर्ह होगा । वेतन रहित अवकाश निम्नलिखित तीन स्थितियों के अतिरिक्त पेंशन अर्ह नहीं है:--

(१) सक्षम चैकित्सिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर,

(२) नागरिक अशांति होने के कारण ड्यूटी पर आने अथवा पुनः आने में उसकी असमर्थता, अथवा

(३) उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययनों में अनुशीलन के कारण ।

निलम्बन की अवधि पेंशन अर्ह नहीं है किन्तु सेवा-पुस्तिका में किसी विशेष प्रविष्टि के न होने पर निलम्बन की अवधि अर्ह सेवा में गिनी जायेगी ।

सेवा में हुआ व्यवधान पेंशन अर्ह नहीं है किन्तु सेवा रिकार्ड में कोई विशेष संकेत न होने पर राज्य सरकार के अर्न्तगत की गयी सेवा की दो अवधियों के बीच हुये व्यवधान/व्यवधानों को स्वतः मर्षित माना जायेगा और पेंशन के लिये व्यवधान/व्यवधानों से पूर्व की सेवा पेंशन अर्ह मानी जायेगी सिवाय इसके कि जहां अन्यथा यह जानकारी हो कि व्यवधान सेवा से त्याग-पत्र देने/बरखास्त कर दिये जाने अथवा सेवा से निकाल दिये जाने अथवा किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण हुआ हो ।

(ख) पूर्ण अर्हकारी सेवा को पूर्ण छमाहियों में परिवर्तित किया जायेगा और ऐसी छमाहियों की गणना करते समय तीन मास या उससे अधिक की अवधि को एक छमाही माना जायेगा । उदाहरणार्थ २९ वर्ष ९मास की पेंशन अर्ह सेवा ३० वर्ष या ६० छमाहियां मानी जायेंगी ।

५--पेन्शन का आगणन--दिनांक १-१-'८६ से पेन्शन की धनराशि मूल नियम ९(२१) (१)में परिभाषित सेवानिवृत्ति के अन्तिम दस मास के औसत वेतन का ५० प्रतिशत होगी बशर्ते सरकारी सेवक ने ३३ वर्ष की पेन्शन अर्ह सेवा पूर्ण कर ली हो । यदि पेन्शन अर्ह सेवा की अवधि कम है तो पेन्शन की धनराशि उसकी अनुपात में कम हो जायेगी। ऐसे सरकारी सेवक जो १-१-'८६ के उपरान्त सेवानिवृत्त हुए हों किन्तु उनकी सेवा के अन्तिम १० माह का कुछ भाग १-१-'८६ से पूर्व का हो तो उस भाग के लिये जो १-१-'८६ से पूर्व का है परिलब्धियों का आशय मूल नियम ९(२१) में परिभाषित वेतन से होगा।

६--ग्रेच्युटी:--(क) सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी-- दिनांक १-१-'९६ के उपरान्त सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी केवल उन्ही सरकारी सेवकों को अनुमन्य है जिन्होंने ५वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो । सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये अन्तिम आहरित परिलब्धियों एवं उस पर अनुमन्य मंहगाई के योग के १/४ के बराबर होगी जिसका अधिकतम परिलब्धियों के साढ़े सोलह गुने के बराबर अथवा रूपये ३.५ लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी ।

उदाहरणार्थ, यदि मूल नियम ९(२१) (१) में परिभाषित अंतिम वेतन रू० ५००० है तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक को इस अंतिम वेतन पर तत्समय अनुमन्य मँहगाई भत्ता रू० १०००- रूपया था और पेन्शन अर्ह सेवा ३० वर्ष है तो सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी= १/४ X (५००० + १०००) X ६० = ९०,०००/- रु० होगी।

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी--मृत्यु ग्रेच्युटी की दरें निम्न प्रकार है:--

सेवा अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
१--एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुना
२--एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु ५ वर्ष से कम	परिलब्धियों का छः गुना
३--पांच वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु २० वर्ष से कम	परिलब्धियों का १२ गुना
४--२० वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के १/२ के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के ३३ गुने के बराबर अथवा रूपये साढ़े तीन लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी ।

(ग) दिनांक १६.०९.१९९३ को एवं दिनांक ३१.०३.१९९५ के मध्य सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के प्रकरण में ग्रेच्युटी की गणना हेतु अन्तिम आहरित वेतन के साथ २० प्रतिशत मंहगाई भत्ता सम्मिलित होगा।

दिनांक ०१.०४.९५ से ३१.१२.१९९५ की अवधि में ग्रेच्यूटी की गणना हेतु अन्तिम आहरित वेतन में ९७ प्रतिशत मंहगाई भत्ता जोड़ा जायेगा।

दिनांक ०१.०१.१९९६ से ग्रेच्युटी की गणना हेतु अन्तिम आहरित वेतन एवं उस पर अनुमन्य सम्पूर्ण मंहगाई भत्ते की धनराशि को सम्मिलित किया जायेगा।

नोट-उक्त व्यवस्था क्रमशः शासनादेश संख्या सा-३-जी०आई०-३२/दस-९०१/८४, दिनांक २१.०२.१९९४ शासनादेश संख्या सा-३-जी०आई०-१३/दस-९०१/९४ दिनांक १३.०९.१९९५ तथा शासनादेश संख्या सा-३-१७२०/दस-३०८/९७, दिनांक २३.१२.१९९७ की व्यवस्था के अधीन ही अनुमन्य होगी।

७--ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु परिवार की परिभाषा-परिवार में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं:--

(क) पत्नी/पति
(ख) पुत्र (सौतेली और गोद ली गयी सन्तानें भी)
(ग) अविवाहित तथा विधवा पुत्रियां
(घ) १८ वर्ष की आयु से कम भाई, अविवाहित तथा विधवा बहनें (सौतेली भाई - बहन भी)
(च) पिता/माता
(छ) विवाहित पुत्रियां (सौतेली पुत्रियां भी)
(ज) पूर्व मृत पुत्र की सन्तानें भी ।

८--पारिवारिक पेन्शन की दरें --दिनांक १-१-'८६ के उपरान्त निम्न दरों पर पारिवारिक पेन्शन अनुमन्य है:--

मूल वेतन प्रतिमास	पारिवारिक पेन्शन दर
१५०० रू० से अनधिक	मूल वेतन का ३० प्रतिशत
१५०० रू० से अधिक किन्तु ३००० रू० से अनधिक	मूल वेतन का २० प्रतिशत जिसका न्यूनतम रू० ४५० प्रतिमाह होगा ।
३००० रू० से अधिक	मूल वेतन का १५ प्रतिशत जिसका न्यूनतम रू० ६०० तथा अधिकतम रू० १,२५० होगा ।

तथा दिनांक १-१-९६ से पारिवारिक पेन्शन मूल वेतन के ३० प्रतिशत की दर से अथवा न्यूनतम १२७५/- अनुमन्य होगी ।

९--पारिवारिक पेन्शन के लिये परिवार की परिभाषा-

(१) पत्नी/पति
*(२) मृत्यु के दिन २५ वर्ष की आयु से कम के पुत्र — सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत् गोद ली गयी सन्तानें भी ।
*(३) मृत्यु के दिन २५ वर्ष से कम आयु की अविवाहित पुत्रियां
*(४) विधवा/तलाकशुदा पुत्रियां
*(५) माता/पिता (दोनों में एक) जो स्वर्गीय कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित हों।

पारिवारिक पेन्शन उपर्युक्त क्रम में एक समय में एक सदस्य को ही अनुमन्य है । विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं है ।

* प्रतिबन्ध यह है कि सभी श्रोतों से प्राप्त मासिक आय रु.२,५५०.०० प्रतिमाह से अधिक न हो।

१०--अस्थायी सरकारी सेवकों को पेन्शन की अनुमन्यता- ऐसे अस्थायी सरकारी सेवकों को, जिन्होंने दिनांक १-६-'८९ के पूर्व अथवा उसके बाद अपनी सेवानिवृत्ति के दिनांक तक कम से कम १० वर्ष की अस्थायी सेवा पूर्ण कर ली हो, स्थायी सरकारी सेवकों की भांति, सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के प्राविधानों के अन्तर्गत पेन्शन तथा ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी ।